PV

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/230

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
111-128 प्रार्थना पत्र	162/24 162/24	23/05/24	[illegible] 10/6/24	6/6/24

अनवान

श्री नेहरू लाल पुत्र हीरालाल माली श्री प्रेमकुमार पुत्र सुगनलाल धाकड़

निवासी सलावटिया निवासी [illegible]पालनिवास

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री रामफुल धाकड़ श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

नेहरूलाल बनाम प्रेमकुमार

किस्म मुकदमा – 111-128 नम्बर 162/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/05/2024	प्रार्थना पत्र सीगे से वाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी / जवाब दिनांक 06/06/2024 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
6/6/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 10/6/24 को वास्ते उचित आदेश पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी	तामील प्राप्त।
10/6/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण बाद सूचना अनुपस्थित। विपक्षीगण के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में आदेश पारित किए गए एवं तहसीलदार बिजौलिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 162/24 तारीख 20/5/24

नेहरूलाल पुत्र हीरालाल जाति माली उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सलावटिया, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

............प्रार्थी

बनाम

01. प्रेम कुमार पुत्र सुगनलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गोपालनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. चुन्नीलाल पुत्र हीरालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गोपालनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03. रमेश पुत्र हरिराम जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
04. मन्नालाल पुत्र राजमल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
05. शंकरलाल पुत्र हरिराम जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
06. नाराणी पत्नि रूपगिरी जाति गोस्वामी उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

............विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

दिनांक 10/6/24

–: आदेश :–

प्रार्थना पत्र में **नेहरूलाल पुत्र हीरालाल जाति माली उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सलावटिया, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)** ने जरिये अभिभाषक **श्री रामफूल धाकड** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते **मौजा झाडोली पटवार हल्का सलावटिया में स्थित खाता संख्या 212 पर अंकित आराजी संख्या 145/2 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **सलावटिया** को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फिस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा झाडोली पटवार हल्का सलावटिया में स्थित खाता संख्या 212 पर अंकित आराजी संख्या 145/2 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या – 162/24 तारीख 23/5/24

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या 162 / 2024 पत्थरगढ़ी बाबत्।

नेहरूलाल पुत्र हीरालाल जाति माली उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सलावटिया, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

............प्रार्थी

बनाम

01. प्रेम कुमार पुत्र सुगनलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गोपालनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. चुन्नीलाल पुत्र हीरालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गोपालनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03. रमेश पुत्र हरिराम जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
04. मन्नालाल पुत्र राजमल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
05. शंकरलाल पुत्र हरिराम जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
06. नाराणी पत्नि रूपगिरी जाति गोस्वामी उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

............विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि **मौजा झाडोली पटवार हल्का सलावटिया में स्थित खाता संख्या 212 पर अंकित आराजी संख्या 145/2 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षकर सलावटिया कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसियान को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा